मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज(व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, भोपाल द्वारा संचालित एकलव्य छात्रवृत्ति योजना

मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ ने वनवासी/आदिवासी संग्राहकों की उन्नति हेतु उनके मेधावी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ''एकलव्य शिक्षा विकास योजना'' का शुभारम्भ शैक्षणिक स़त्र 2010–11 से किया गया है ।

इस योजना मे दूरस्थ वन क्षेत्रों मे निवास करने वाले तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य से सलंग्न तेन्दूपत्ता संग्राहक, फडमुंशी एवं प्राथमिक वनोपज समिति के प्रबंधकों के मेधावी बच्चों को शिक्षा प्रदान किये जाने छात्रवृत्ति दिये जाने की व्ययस्था की गई है । इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्रता के मुख्यतः निर्धारित मापदंड निम्नानुसार हैं :–

- यह योजना तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य से जुड़े संग्राहक, फड़मुंशी एवं समिति प्रबंधकों के बच्चों के लिये है । संग्राहक होने की स्थिति में संग्राहक द्वारा विगत 5 वर्षों में से कम से कम 03 वर्षो में (शैक्षणिक सत्र 2012–13 हेतु संग्रहण वर्ष 2008 से) प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहित किया होना चाहिये । यदि आवेदक के माता/पिता दोनों ने ही तेन्दूपत्ता संग्रहण किया हो, तो उन दोनों द्वारा संग्रहित कुल मात्रा भी कम से कम 1 मानक बोरा होना चाहिये ।

- आवेदक विद्यार्थी द्वारा गतवर्ष उत्तीर्ण कक्षा में (शैक्षणिक वर्ष 2012–13 की छात्रवृत्ति के लिये शिक्षण सत्र 2011–12 में आयोजित परीक्षा) कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो ।

- छात्रवृत्ति की योजना कक्षा 9 वीं से स्नातक स्तर/तकनीकी स्नातक स्तर तक के विद्यार्थियों के लिये ही प्रभावशील है । उक्त वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न वर्गो हेतु निम्नानुसार अधिकतम राशि स्वीकृत की जा सकेगी :–
  - **कक्षा 9 एवं 10 वीं के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति की अधिकतम राशि** — **रू. 12000/–**
  - **कक्षा 11 एवं 12 वीं के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति की अधिकतम राशि** — **रू. 15000/–**
  - **गैर तकनीकी स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति की अधिकतम राशि** — **रू. 20000/–**
  - **व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिये** — **रू. 50000/–**

  छात्रवृत्ति हेतु जो उपरोक्त दरें निर्धारित की गई हैं, वे अधिकतम हैं परन्तु यदि चयनित विद्यार्थी को केन्द्र/राज्य शासन अथवा किसी भी अन्य संस्था से किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई छात्रवृत्ति अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है, तो संघ द्वारा एकलव्य शिक्षा विकास योजनान्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति में से इस सीमा तक कटौती कर दी जायेगी । अर्थात् समस्त स्त्रोतों से मिलाकर प्राप्त होने वाली वास्तविक छात्रवृत्ति अथवा उपर दर्शित अधिकतम सीमा (इनमें से जो भी कम हो) से अधिक नहीं होगी ।

- उक्त योजना से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं विस्तृत निर्देश इस कार्यालय की वेबसाइट www.mfpfederation.com पर देखी जा सकती है ।

- शैक्षणिक सत्र 2012–13 में आवेदन करने हेतु निर्धारित प्रारूप –1 **एवं 2 इस कार्यालय की बेबसाइड www.mfpfederation.com से डाउन लोड करके उपयोग में लाये जा सकते है।**
- शैक्षणिक सत्र 2012–13 हेतु आवेदन पत्र दिनांक 30.11.2012 के पूर्व संबंधित जिला यूनियनों में जमा किये जा सकेंगे ।